(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 20/2023- संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. ..... (अ)- संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित तहत केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या **5/2017-** संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 714 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी,अर्थातः-

(1)	(2)	(3)
“6कक	5605	धात्विक पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म से बना इमीटेशन ज़री धागा या सूत स्पष्टीकरण: यह प्रविष्टि केवल पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए लागू होगी ।”;

2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे

अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 5/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 714 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2022- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022, जिसे सा.का.नि. 561 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्‌वारा संशोधन किया गया था।